



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-75/2011-12

दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम

बनाम्

शिवशंकर राय

-: आदेश :-

दिनांक

10.05.11

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम पे०-स्व० उदय शंकर राम वो जयंत कुमार राम पे०-स्व० अर्जुन राम सा०-हीरा खुटहरी, अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर०ई०आर० केश नं०-67/2007-08 आदेश दिनांक-27.11.2011 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर०ई०आर० केश नं०-67/07-08 आदेश दिनांक-27.11.2011 के द्वारा संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा-हीरा खुटहरी के जमाबंदी सं०-09 दाग नं०-22 रकवा 30' x 100' जमीन से अपीलकर्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम पे०-स्व० उदय राम एवं उक्त दाग नं०-22 के अंदर रकवा 30' x 20' जमीन से अपीलकर्ता जयंत कु० राम पे०-स्व० अर्जुन राम को उच्छेद किया है।

अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-हीरा खुटहरी के अन्तर्गत दाग नं०-22 के अंदर रकवा 00-02-00 धुर जमीन दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम, प्यारेलाल राम एवं अजीत राम पेसरान स्व०-उदय शंकर राम के दादा जानकी राउत को 80 वर्ष जमाबंदी से प्राप्त हुआ था और तबसे वे उस पर कच्चा मकान बनाकर रह रहे थे। बाद में 60 वर्ष पूर्व उन्होंने कच्चा मकान को तोड़कर पक्का मकान बनाया तथा उस पर सपरिवार रहने लगे। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत को दो पुत्र केदार राय एवं हर नारायण राय हुए। केदार राय के चार पोता एवं एक पुत्र जीवित है तथा हर नारायण राय को छः पुत्र हैं एवं सभी पुत्र जीवित हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ शिवशंकर राय के द्वारा उच्छेदी वाद दायर

RMA No. 75-11-12

किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्ता जयंत कुमार राम के दादा को दाग नं०-22 के अंदर रकवा 00-04-00 धुर जमीन वर्ष 1935-36 ई० में प्राप्त हुआ था। उसी समय से वे उसपर पक्का मकान बनाकर निवास करने लगे। उनका आगे कथन है कि हीरा खुटहरी मौजा में उत्तरवादी शिवशंकर राय ने अनेकों लोगों को जमीन बेचा है एवं वे लोग उस पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। लेकिन उत्तरवादी ने सिर्फ अपीलकर्ता से रुपैया वसूली के लिए उच्छेदी वाद दायर किया है। उनका आगे कथन है कि यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम एवं अपीलकर्ता जयंत कुमार राम का मकान बना हुआ है एवं वे दोनों उपपर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय, राँची झारखण्ड एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा इस तरह के कई मामलों में निर्णय दिये गये हैं कि यदि जमाबंदी की जमीन पर आवासीय मकान बना हुआ है तो उस कब्जाधारी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। इसमें से नवगोपाल भद्र मौजा-देवडौंड थाना-पोड़ैयाहाट जिला-गोड्डा का भी मामला है जो बी०एल०जे० 2000 (3) पेज सं०-738 में अंकित है, के अनुसार भी मकान की जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। बल्कि इस तरह के जमीन पर का मुआवजा दिया जा सकता है। इस प्रकार निम्न न्यायालय ने उपरोक्त सारी तथ्यों का अनदेखी करते हुए नियम के विपरीत आदेश पारित किया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-हीरा खुटहरी जमाबंदी सं०-9 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोहर राय के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत मोहर राय को दो पुत्र कंदार राय एवं हरि नारायण राय हुए। उत्तरवादी शिवशंकर राय हरि नारायण राय के पुत्र है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं०-22 के रकवा 30' x 100' भूमि अपीलकर्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम एवं उक्त दाग नं०-22 के रकवा 30' x 20' जमीन अपीलकर्ता जयंत कुमार राम के द्वारा अवैध ढंग से कब्जा कर लिये जाने के कारण उत्तरवादी ने निम्न न्यायालय में उन दोनों को उच्छेद करने के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत आवेदन दाखिल किया था। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता के द्वारा कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है


और 1935-36 ई० में जमीन प्राप्त करने का दावा किया गया। लेकिन अपीलकर्ता के द्वारा प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का आदेश नियमानुकूल है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।


इस संबंध में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक-525/रा० दिनांक-12.11.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मामला जमाबंदी जमीन का अवैध रूप से दान स्वरूप प्राप्त करने से संबंधित है जो संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 का उल्लंघन है। परन्तु अपीलकर्ता द्वारा उस जमीन पर सपरिवार निवास कर रहे हैं।

उभय पक्ष के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा मौजा-हीरा खुटहरी नं०-146 जमाबंदी सं०-9 दाग नं०-22 के रकवा 30' x 100' से अपीलकर्ता दीपक राम उर्फ दीप नारायण राम एवं उक्त दाग नं० के रकवा 30' x 20' की जमीन से अपीलकर्ता जयंत कुमार राम को संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया गया है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त जमीन पर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर आवासीय मकान है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर०ई०आर० केश नं०-67/2007-08 के आदेश दिनांक-27.12.2011 को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


10.03.21
उपायुक्त,
गोड्डा।


10.03.21
उपायुक्त,
गोड्डा।